यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
दमा नम्बर :–389/2017 प्रार्थना पत्र
जर्नादनराय पिता उमाकांत आचार्य, उम्र बालिग निवासी घांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा जस्थान)

———प्रार्थी

बनाम

-श्री बालूलाल पिता बगतावर ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) डिलिट
-श्री सुखा पिता भैरूलाल बैरवा, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री उगमालाल पिता कालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग ब्रहम्मपुरी तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री भंवरलाल पिता बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री कालूलाल पिता बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री रामलाल पिता बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति लादी पुत्री बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति जेतू पुत्री बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्रीमति गीता पुत्री बालूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी जित्याखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–31.1.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जित्याखेड़ी वार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी बर 759 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, 762 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 763 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 764 कबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। पक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा न्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने ते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः र्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। से शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 2 से 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने कारण दिनांक 10.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील र्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 का दिनांक .2018 को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.2018 को ोकार किया गया। वकील प्रार्थी ने संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया या।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 759 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, 762 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 763 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 764 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा भूमि की सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 800/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner